रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 427] नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 19, 2018/कार्तिक 28, 1940
No. 427] NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 19, 2018/KARTIKA 28, 1940

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 अक्तूबर, 2018

सं.एन–12/13/1/2016.—योज एवं वि.—जबकि कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 में और संशोधन करने के कतिपय मसौदा विनियम कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 97 की उप–धारा (1) के अंतर्गत यथा–अपेक्षित भारत के राजपत्र के भाग – III – खंड–4 में दिनांक 5 सितंबर, 2018 जिनमें उक्त अधिसूचना प्रकाशित की गई थी, जनता को उपलब्ध कराने की तारीख से तीस दिन की अवधि की समाप्ति तक, इससे प्रभावित होने वाले सभी व्यक्तियों से, आपत्तियॉ और सुझाव आमंत्रित किये गये थे।

और जबकि उक्त राजपत्र की प्रतियां 05 सितंबर, 2018 से सार्वजनिक उपयोग के लिए उपलब्ध करा दी गयी थीं;

और जबकि कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा उससे प्रभावित होने वाले संभावित व्यक्तियों से प्राप्त आपत्तियों तथा सुझावों पर विचार किया गया है;

अतः अब कर्मचारी राज्य बीमा निगम, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 57 के साथ पठित धारा 97 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियमावली, 1950 में पुनः संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है; अर्थात्:–

1. इन विनियमों को कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) संशोधन विनियम, 2018 कहे जाएंगे।
2. कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियमावली, 1950 में एक नया विनियम 96–ख जोड़ा जाएगा।

विनियम 96 ख : प्रतिपूर्ति के लिए चिकित्सा हितलाभ का स्तर

''बीमाकृत व्यक्ति तथा उसका परिवार (जहॉं इस चिकित्सा हितलाभ का विस्तार उसके परिवार तक किया गया है) आकस्मिक स्थिति में राज्य सरकार अथवा निगम द्वारा अथवा केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) के लिए निर्धारित तथा प्रकाशित दरों तक चिकित्सा उपचार की प्रतिपूर्ति प्राप्त करने का हकदार होगा।''

एस. रविचन्द्रन, **अपर आयुक्त (यो.व.वि.)**

[**विज्ञापन**–III/**4**/**असा.**/**347**/**18**]

EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th October, 2018

No. **N-12/13/1/2016-P&D—**Whereas draft regulation further to amend the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950 was published as required under sub-section (1) of section 97 of the Employees' State Insurance Act,1948 (34 of 1948), in the Gazette of India, Part-III–Section–4, dated the 05th September, 2018 for inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby till the expiry of the period of Thirty days from the date on which this notification was published, are made available to the public:-

And whereas, the said Gazette were made available to the public on 05.09.2018;

And whereas, objections and suggestions received from any of the persons likely to be affected thereby have been considered by the Employees' State Insurance Corporation;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 97 read with Section 57 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Employees' State Insurance Corporation, hereby makes the following Regulations further to amend the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, namely;

1. This Regulation may be called Employees' State Insurance (General) Amendment Regulations, 2018.
2. In the Employees' State Insurance(General) Regulation,1950 , a new Regulation 96-B shall be inserted as under:

Regulation 96B: SCALE OF MEDICAL BENEFIT FOR REMBURSEMENT

" An Insured Person and his family (where such medial benefit is extended to his family) shall be entitled to receive reimbursement of medical treatment in emergent condition to the extent rates prescribed and published by State Government or the Corporation or for the Central Government Health (CGHS)".

S. RAVICHANDRAN, Addl. Commissioner (P&D)

[ADVT.-III/4/Exty./347/18]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2018.11.21 16:37:49 +05'30'